तारीख हुक्म	हुक्म या कार्यवाही मय इनिशियल जज	नं0 व तारीख अहकाम जो इस हुक्म की तामील में जारी हुए
	यश जांगिड़ बनाम लो.सू.अ. (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) सू.अ.अ. अपील संख्या : 384/2021	
01-02-2022	अपीलार्थी यश जांगिड़, पता म.नं.5, तिलक नगर द्वितीय, इण्डियन बैंक के पास, भदवासीया रोड़, जोधपुर ने सूचना का अधिकार के तहत प्रार्थना–पत्र दिनांक 15.11.2021 में उसके द्वारा (1) जनवरी 2017 से जोधपुर कलक्टर द्वारा कितने मंदिरों के निमार्ण की स्वीकृतियां व अन्य बिन्दु, से संबंधित सूचना के लिए लोक सूचना अधिकारी (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) को प्रेषित किया गया तथा उक्त लोक सूचना अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई, जिससे व्यथित होकर यह अपील पेश हुई। अपील दर्ज रजिस्टर कर रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) से तथ्यात्मक रिपोर्ट मांगी गई। हमने पत्रावली का अवलोकन किया। रेस्पो.पक्ष (अपर जिला कलक्टर शहर प्रथम जोधपुर) से जरिये पत्रांक 47 दिनांक 11.01.2022 तथ्यात्मक रिपोर्ट प्राप्त हुई जिसमें बतलाया गया कि प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित होने से धारा 5(4) के तहत कार्यालय के पत्रांक 1555 दिनांक 25.11.2021 द्वारा सूचना भिजवाने हेतु लिखा गया, परन्तु प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना न्यायिक अनुभाग से अभी तक अपेक्षित होने से प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराया जाना संभव नहीं है। रिपोर्ट में आगे यह भी बतलाया कि प्रभारी अधिकारी, न्यायिक शाखा द्वारा सूचना नहीं दिये जाने से धारा 5(5) के तहत उन्हें लोक सूचना अधिकारी मानते हुए प्रार्थी को सूचना उपलब्ध कराने के निर्देश प्रदान करने की इस्तदुआ की। चूंकि अपीलार्थी/प्रार्थी द्वारा चाही गई सूचना न्यायिक शाखा कार्यालय हाजा से संबंधित है तथा प्रभारी अधिकारी द्वारा सूचना नहीं दी गई है अतः अपील स्वीकार की जाती है तथा प्रभारी अधिकारी [illegible] शाखा कलक्टर कार्यालय जोधपुर को लोक सूचना अधिकारी मानते हुए उन्हें निर्देशित किया जाता है कि द्वारा चाही गई सूचना 15 दिवस में उपलब्ध करावे, अन्यथा नहीं दिये जाने के कारणों से प्रार्थी को अवगत कराया जाय। आदेश की प्रति संबंधित को सूचनार्थ एवं पालनार्थ प्रेषित हो। आदेश सुनाया गया।	

Signature Not Verified
Digitally signed by Himanshu Gupta
Date: 2023.08.08 14:23:39 IST
Reason: Self Attested